

केंद्रीय मुख्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), कोलकाता में अपर-महानिदेशक (वित्त) का पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना ।

खान मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर ऐसे योग्य अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता है जो खान मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, केंद्रीय मुख्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), कोलकाता में अपर-महानिदेशक (वित्त) के पद को भरने के लिए स्तंभ 5 में वर्णित निम्नलिखित पात्रता रखते हों:-

क्र.सं.	पद का नाम और वर्गीकरण	रिक्ति की संख्या	वेतनमान में वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	पात्रता
1	2	3	4	5
1.	अपर-महानिदेशक (वित्त) सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	01 (एक)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) रु. 67000-79000, 3% वार्षिक वेतन वृद्धि	<p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के ऐसे अधिकारी जो: -</p> <p>(क) (i) अपने मूल संवर्ग/विभाग/संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii) उस पर अपनी नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत वेतन बैंड-4, रु. 37400-67000 में एवं रु.10000 ग्रेड वेतन सहित अथवा अपने मूल काडर या विभाग में समतुल्य पद पर तीन वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री, और</p> <p>(ii) मूल विभाग में वित्त, बजट, लेखा के क्षेत्र में पंद्रह वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय : वित्त प्रबंधन के विषय के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को लागू किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद के लिए लागू होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>

2. चयनित अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

आवेदन का प्रारूप

सत्यापित आकार नवीनतम चिपकाएं	पासपोर्ट का अपनी फोटो
---------------------------------------	--------------------------------

1. पद का नाम :
2. उम्मीदवार का नाम :
3. पिता का नाम :
4. जन्म तिथि :
5. पत्राचार हेतु पता:
6. शैक्षिक अर्हता :
7. केंद्र/राज्य सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि :
8. आवेदक की शैक्षिक योग्यता :
9. आवेदक के पास अनुभव, पद का नाम, अवधि, कार्य की प्रवृत्ति, वेतनमान, नियमित/तदर्थ/प्रतिनियुक्त इत्यादि के विवरण सहित।
10. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि उपरोक्त प्रविष्टियों को देखते हुए क्या आप पद के लिए आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हैं ?
11. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई है, जिसका उल्लेख पद के लिए आपकी उपयुक्तता के संदर्भ में करना चाहें।
12. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं।
13. कोई अन्य टिप्पणी।

मैंने परिचालित/रिक्ति/विज्ञापन को ध्यान से पढ़ा है तथा मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा किसी भी सूचना को छिपाया अथवा अनुचित ढंग से नहीं दिया गया और मैं इस बात से भी अवगत हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत बायो-डाटा के समर्थन में दस्तावेजों का पद के लिए चयन करने के समय, चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
पता एवं दूरभाष

तिथि :

स्थान :

प्रमाण पत्र

(आवेदन अग्रेषित करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरा जाए)

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी विवरणों को उपलब्ध रिकॉर्ड से जांचा गया है तथा सही पाया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध कोई सर्तकता/अनुशासनिक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है तथा पिछले 10 वर्षों में आवेदक पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है।
3. आवेदक की पिछले पांच वर्षों के लिए अवर सचिव अथवा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापित एसीआर/एपीएआर डोजियर संलग्न है।
4. आवेदक की सत्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं है।
5. आवेदक के पास सर्तकता/विधिक मामलों संबंधी अच्छा अनुभव है। (जो लागू ना हो उसे हटा दें)

हस्ताक्षर (मोहर सहित)
नाम एवं पद
कार्यालय का पता
दूरभाष

दिनांक :

3. रोज़गार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सर्तकता स्वीकृति, नो-पैनल्टी प्रमाण पत्र, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, संवर्ग मंजूरी, अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट तथा सेवाकाल विवरण सहित आवेदन निर्धारित प्रपत्र में निम्न पते पर प्राप्त होना चाहिए।

श्री अमित सरन,

निदेशक, कक्ष सं. 310 डी

खान मंत्रालय, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली - 110001

ई-मेल : amit.saran@nic.in

टेली फ़ैक्स : 22381136

4. अंग्रिम प्रति पर कोई कारवाई नहीं की जाएगी।

5. पद के लिए आवेदन के पश्चात उम्मीदवारों को आवेदन वापिस लेने की अनुमति नहीं है।

(अमित सरन)
निदेशक